विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

नयी सड़कों में अंडरपास और फुट ओवरब्रिज की हो व्यवस्था

- हादसा रोकने के लिए बेहतर कानून व जागरूकता भी जरूरी

संवाददाता ▷ पटना

मुजफ्फरपुर में 24 फरवरी को सड़क हादसे में नौ स्कूली बच्चों की मौत

के बाद सड़क सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार गंभीर है. सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा कानून में बेहतर प्रावधान, सड़क संरचना में सुधार, सुरक्षा और जागरूकता जरूरी है. वे बुधवार को बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा के बाद सरकार की ● बाकी पेज 19 पर

शराब बेचना और पीना मौलिक अधिकार नहीं : पेज 13

बिहार में आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा

नीतीश कुमार ने कहा कि ग्रीन फील्ड, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और फोरलेन सड़कों के बनने का काम जारी रहेगा. बिहार की आबादी का घनत्व देश में सबसे ज्यादा है. इसे देखते हुए सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. सड़क किनारे बसे लोगों को अपने जानवर और कृषि यंत्रों को लेकर सड़क पार कर खेतों तक जाना पड़ता है. ऐसे में वे कैसे सुरक्षित तरीके से सड़क पार कर सकें, इसके लिए नये सिरे से सड़कों की संरचना पर सोचने की जरूरत है. सीएम ने कहा कि आबादी बढ़ती जा रही है, सड़कों की लंबाई भी बढ़ रही है. ● बाकी पेज 19 पर

नयी सड़कों में अंडरपास...

ओर से जवाब दे रहे थे. मुख्यमंत्री ने विधानमंडल के सदस्यों से सड़क सुरक्षा को लेकर सुझाव मांगे और कहा कि इस संबंध में जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलायी जायेगी. उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी बनायी गयी है. इसमें परिवहन, ग्रामीण कार्य, पथ निर्माण विभाग के सचिव सहित अपर पुलिस महानिदेशक शामिल हैं. यह समिति सड़क दुर्घटनाओं की मॉनीटरिंग करेगी और समय-समय पर अपना सुझाव देगी. साथ ही इसके कानूनी प्रावधानों पर भी विचार किया जायेगा.

बिहार में आबादी का...

इससे सड़कों पर परिचालन भार भी बढ़ रहा है. ऐसे में स्पीड ब्रेकर कोई समाधान नहीं है. अब जो भी नयी सड़कें बनें, उनमें अंडरपास और फुट ओवरब्रिज की भी जरूरत के मुताबिक व्यवस्था होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि फुट ओवरब्रिज का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि दिव्यांग व्यक्ति और जानवर भी आसानी से उस पर जा सकें.